



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236966
CG-DL-E-01072022-236966

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2879]
No. 2879]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2022/आषाढ़ 10, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2022/ASHADHA 10, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2022

का.आ. 3025(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 41 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का. आ. 2291 (अ), तारीख 5 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने के लिए लोप किया गया था, सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारी को विनिर्दिष्ट करती है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अभियोजन को संस्थित करने से पूर्व, स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने पर प्रशमन कर सकेगा, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अपराध	शास्ति की राशि	प्रशमन के लिए सक्षम अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अधिनियम की धारा 6 के उल्लंघन में किसी प्रकार की आतिथ्य स्वीकार करने पर धारा 35 के अधीन दण्डनीय अपराध।	दस हजार रुपये	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक या उप-सचिव

2.	अधिनियम की धारा 7 या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का विदेशी अभिदाय अन्तरण करने पर धारा 37 के अधीन दण्डनीय अपराध: परंतु विदेशी अभिदाय का अंतरण (अंतरण के एक से अधिक दृष्टांत सहित, यदि कोई हो) का केवल एक बार ही प्रथमन होगा।	एक लाख रुपये या अंतरित ऐसे विदेशी अभिदाय का दस प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक या उप-सचिव
3.	अधिनियम की धारा 8 के उल्लंघन में प्रशासनिक खर्चों के लिए प्राप्त अभिदाय के बीस प्रतिशत से अधिक विदेशी अभिदाय चुकाने पर धारा 37 के अधीन दण्डनीय अपराध।	एक लाख रुपये या अनुज्ञेय सीमा से अधिक चुकाए गए ऐसे विदेशी अभिदाय का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक या उप-सचिव
4.	अधिनियम की धारा 11 के उल्लंघन में विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए धारा 35 के अधीन दण्डनीय अपराध।	एक लाख रुपये या प्राप्त विदेशी अभिदाय का तीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक या उप-सचिव
5.	निम्नलिखित के लिए अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित धारा 37 के अधीन दण्डनीय अपराध- (क) प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए अपने आवेदन में विनिर्दिष्ट खाते से भिन्न किसी अन्य खाते में विदेशी अभिदाय प्राप्त करना; (ख) बैंको और प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा विदेशी प्रेषण की विहित रकम या ऐसे प्रेषण के स्रोत तथा प्रेषण की रीति की सूचना नहीं देना; (ग) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने या विदेशी अभिदाय का उपयोग करने के लिए खोले गए खाते या खाते में विदेशी अभिदाय से भिन्न कोई रकम प्राप्त और जमा करना।	एक लाख रुपये या ऐसे खाते में प्राप्त विदेशी अभिदाय का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो; एक लाख रुपये या ऐसे खाते में प्राप्त या जमा किए गए विदेशी अभिदाय का तीन प्रतिशत, जो भी अधिक हो। एक लाख रुपये या ऐसी जमा का दो प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक या उप-सचिव अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक या उप-सचिव अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक या उप-सचिव
6.	प्राप्त प्रत्येक विदेशी अभिदाय की रकम और ऐसे स्रोत और रीति जिसमें ऐसा विदेशी अभिदाय अधिनियम की धारा 18 के अधीन यथा अपेक्षित प्राप्त हुआ है, की सूचना नहीं देने पर धारा 37 के अधीन दण्डनीय अपराध।	एक लाख रुपये या प्रस्तुत नहीं करने की अवधि के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक या उप-सचिव
7.	अधिनियम की धारा 19 की अपेक्षा के अनुसार प्राप्त विदेशी अभिदाय का लेखा और रिकार्ड नहीं रखने और इसके उपयोग की रीति के लिए धारा 37 के अधीन दण्डनीय अपराध।	एक लाख रुपये या लेखा नहीं रखने की सुसंगत अवधि के दौरान विदेशी अभिदाय का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक या उप-सचिव
8.	विदेशी अभिदाय की प्राप्ति के बारे में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचित करने में विफलता के लिए नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 3, धारा 11 और धारा 35 के अधीन दण्डनीय अपराध।	किसी वित्त वर्ष में प्राप्त ऐसे विदेशी अभिदाय का पाँच प्रतिशत।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक या उप-सचिव

9.	विनिर्दिष्ट समय के भीतर खाता या खाते खोलने के बारे में सूचित करने में विफलता के लिए नियम 9 के उप-नियम (1) के खंड (ड) के साथ पठित अधिनियम की धारा 37, धारा 17 और धारा 19 के अधीन दंडनीय अपराध।	विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचित करने में विफलता के लिए दस हजार रुपये प्रति उपयोग खाता।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक या उप-सचिव
10.	विनिर्दिष्ट समय के भीतर खाता या खाते खोलने के बारे में सूचित करने में विफलता के लिए नियम 9 के उप-नियम (2) के खंड (ड) के साथ पठित अधिनियम की धारा 37, धारा 17 और धारा 19 के अधीन दंडनीय अपराध।	विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचित करने में विफलता के लिए दस हजार रुपये प्रति उपयोग खाता।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक या उप-सचिव
11.	विनिर्दिष्ट समय के भीतर ब्यौरों के बारे में सूचित करने में विफलता के लिए नियम 17क के साथ पठित अधिनियम की धारा 37, धारा 11 और धारा 17 के अधीन दंडनीय अपराध।	विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचित करने में विफलता के प्रत्येक उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक या उप-सचिव
12.	विनिर्दिष्ट समय के भीतर नियम 13 के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर डालने में विफलता के लिए नियम 13 के साथ पठित अधिनियम की धारा 37 और धारा 19 के अधीन दंडनीय अपराध।	प्रत्येक उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग का यथा स्थिति, भारसाधक निदेशक या उप-सचिव

2. उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध या अपराधों के संबंध में सारणी के स्तम्भ (3) के अधीन संगणित शास्ति की राशि प्राप्त विदेशी अभिदाय के मूल्य से अधिक नहीं होगी।

3. ऊपर विनिर्दिष्ट प्रशमन अपराधों के लिए आवेदन पर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में कार्रवाई की जा सकेगी, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

[फा. सं. II/21022/23(04)/2021-एफसीआरए-III]

वी.एस. राणा, निदेशक (एफसीआरए)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2022

S.O. 3025(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 41 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Home Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 2291(E), dated the 5th June, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the officer in column (4) of the Table, who may, before institution of any prosecution under the said Act, compound the offences under the said Act specified in column (2), on payment of the amount specified in column (3), of the said Table, namely:-

TABLE

Sr. No.	Offence	Amount of Penalty	Officer competent for compounding
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Offence punishable under section 35 for accepting any hospitality in contravention of section 6 of the Act.	Ten thousand rupees	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.

2.	<p>Offence punishable under section 37 for transferring any foreign contribution to any other person in contravention of section 7 of the Act or any rule made thereunder:</p> <p>Provided that transfer of foreign contribution (inclusive of more than one instances of transfer, if any) shall be compoundable only once.</p>	One lakh rupees or ten per cent. of such transferred foreign contribution, whichever is higher.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
3.	Offence punishable under section 37 for defraying of foreign contribution beyond twenty per cent of the contribution received for administrative expenses in contravention of section 8 of the Act.	One lakh rupees or five per cent. of such foreign contribution so defrayed beyond the permissible limit, whichever is higher.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
4.	Offence punishable under section 35 for accepting foreign contribution in contravention of section 11 of the Act.	One lakh rupees or thirty per cent. of the foreign contribution received, whichever is higher.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
5.	<p>Offences punishable under section 37 read with section 17 of the Act for-</p> <p>(a) receiving foreign contribution in any account other than specified account in his application for grant of certificate;</p> <p>(b) non-reporting the prescribed amount of foreign remittance or source and manner of such remittance by banks and authorised persons.</p> <p>(c) receiving and depositing any fund other than foreign contribution in the account or accounts opened for receiving foreign contribution or for utilising the foreign contribution.</p>	<p>One lakh rupees or five per cent. of the foreign contribution received in such account, whichever is higher;</p> <p>One lakh rupees or three per cent. of the foreign contribution received or deposited in such account, whichever is higher.</p> <p>One lakh rupees or two per cent. of such deposit, whichever is higher.</p>	<p>Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.</p> <p>Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.</p> <p>Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.</p>
6.	Offence punishable under section 37 for non-furnishing of intimation of the amount of each foreign contribution received and the source from which and in the manner in which, such foreign contribution is received as required under section 18 of the Act.	One lakh rupees or five per cent. of the foreign contribution received during the period of non submission, whichever is higher.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
7.	Offence punishable under section 37 for not maintaining the account and records of foreign contribution received and manner of its utilisation as required section 19 of the Act.	One lakh rupees or five per cent. of the foreign contribution during the relevant period of non-maintenance of accounts, whichever is higher.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
8.	Offence punishable under sections 3, 11 and 35 of the Act read with rule 6 for failure to intimate about receipt of foreign contribution within the prescribed time limit.	Five per cent. of such foreign contribution received in a financial year.	The Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.

9.	Offence punishable under section 37, section 17 and section 19 of the Act read with clause (e) of sub-rule (1) of rule 9 for failure to intimate about opening of account or accounts within the prescribed time.	Ten thousand rupees per utilisation account for failure to intimate within the prescribed time.	The Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
10.	Offence punishable under section 37, section 17 and section 19 of the Act read with clause (e) of sub-rule (2) of rule 9 for failure to intimate about opening of account or accounts within the prescribed time.	Ten thousand rupees per utilisation account for failure to intimate within the prescribed time.	The Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
11.	Offence punishable under section 37, section 11 and section 17 of the Act read with rule 17A, for failure to intimate about details within the prescribed time.	Ten thousand rupees for each violation of failure to intimate within the prescribed time.	The Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
12.	Offence punishable under section 37 and section 19 of the Act read with rule 13, for failure to place on website as prescribed in clause (a) of rule 13 within the prescribed time.	Ten thousand rupees for each violation.	The Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.

2. The amount of penalty computed under column (3) of the Table in respect of any offence or offences referred to in column (2) thereof shall not be more than the value of the foreign contribution received.

3. The application to compound offences specified above may be processed in physical or electronic form as may be specified by the Government.

[F. No. II/21022/23 (04)/2021-FCRA-III]

V.S. RANA, Director (FCRA)